

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद धुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. धिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278]

रायपुर,, सोमवार,, दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 – आश्विन, 9 शक1929

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग सिविल लाईन, जी.ई. रोड, रायपुर 492001

रायपुर, दिनांक 01 अक्टूबर 2007

क्र. 20/सी.एस.ई.आर.सी./2007-छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 50 सहपठित धारा 181 (2)(एक्स) और धारा 43 (1) और 46 सहपठित धारा 181 (2)(टी) के अधीन “छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2005” का निर्माण किया है। विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007(वर्ष 2007 का क्रमांक 26) के लागू होने के परिणाम स्वरूप विद्युत प्रदाय संहिता में कतिपय संशोधन आवश्यक हो गये है। इसके अतिरिक्त विद्युत प्रदाय संहिता के कार्यानुभव के आधार पर उसमें कतिपय संशोधनों का किया जाना आवश्यक हो गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के खण्ड 1.10 के अधीन प्राप्त शक्तियों प्रयोग करते हुये और अनेक हितधारियों के सुझावों/टीकाओं पर विचार करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, परिभाषा एवं प्रवर्तन

- ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन), 2007 कहलायेंगे।
- ये छत्तीसगढ़ राज पत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगे।
- इस संहिता में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (एतदपश्चात् ‘संहिता’ शब्द से उल्लेखित) में है।

2. संहिता के उप खण्ड 2.1 (एल) में दी गई उपभोक्ता की परिभाषा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जावे:-

“उपभोक्ता से तात्पर्य होगा विद्युत अधिनियम की धारा 2 (15) में यथा परिभाषित उपभोक्ता और इस संहिता के उद्देश्यों के लिए इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो किसी विद्युत संयोजन के लिए आवेदन करता है या ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई संयोजन हो परन्तु उसकी विद्युत आपूर्ति तत्समय में किसी कारण से विच्छेदित कर दी गई हो।”

3. संहिता के उप खण्ड 2.1(एचएच) को विलोपित किया जावे।
4. संहिता के अध्याय चार को अध्याय शीर्षक सहित निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे:—

“विद्युत की आपूर्ति

अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत आपूर्ति के दायित्व

- 4.1 अनुज्ञप्तिधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में स्थित किसी परिसर के स्वामी अथवा कब्जेदार से आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे परिसर को इस संहिता के खण्ड 4.54 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विद्युत की आपूर्ति करेगा, यदि:—

- (ए) विद्युत की आपूर्ति तकनीकी रूप से साध्य हो,
- (बी) आवेदक द्वारा इस संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया हो, तथा
- (सी) वह इस संहिता में विनिर्दिष्ट आपूर्ति तथा सेवाओं का मूल्य वहन करने के लिए सहमत हो।

उपरोक्त के संदर्भ में आवेदन से तात्पर्य, उस आवेदन से है, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षित समुचित प्रारूप में दस्तावेजों सहित आवश्यक प्रभारों का भुगतान और अन्य परिपालनों की जानकारी समाहित करते हुए सभी प्रकार से परिपूर्ण हो।

- 4.2 अनुज्ञप्तिधारी वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग पूर्ति के लिए 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र की प्रणाली के सशक्तीकरण/उन्नयन की लागत की पूर्ति करेगा और इस लागत की वसूली उपभोक्ताओं से टैरिफ के माध्यम से की जावेगी।
- 4.3 अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान उपभोक्ताओं की मांग और भार वृद्धि के अंकलन के आधार पर प्रत्याशित उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त संख्या में 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र स्थापित करेगा।
- 4.4 नवीन उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिए, आपूर्ति बिंदु तक वितरण लाईन के विस्तार तथा प्रणाली के विस्तार/उन्नयन की लागत का, भुगतान, उपभोक्ताओं द्वारा अथवा उपभोक्ताओं के समूह द्वारा किया जायेगा या अन्यथा जैसा कि अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा निर्देशित किया जाये।
- 4.5 किसी नये कनेक्शन प्रदान करने या किसी विद्यमान संयोजन के भार वृद्धि के मामले में विद्यमान ट्रांसफार्मर की क्षमता का वर्धन आवश्यक होने पर या समुचित क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने या स्थापित करने का व्यय उपभोक्ता वहन करेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी भावी मांग से निपटने के लिए उच्चतर क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित करना चाहे तो उपभोक्ता अपने लिए आवश्यक भार के अनुपात में लागत वहन करेगा। यदि सार्वजनिक भूमि पर उपकेन्द्र स्थापित किया जाना सम्भव न हो तो उपभोक्ता ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र और स्विच गियर के लिए सुलभ पहुँच वाली भूमि/कक्ष बिना मूल्य उपलब्ध करवायेगा, जिस के लिए कोई भाड़ा या प्रीमियम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं दिया जाएगा।

- 4.6 सर्विस कनेक्शन/वितरण प्रणाली का विस्तार, चाहे इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया गया हो, अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति होगी जो इसका संधारण (रख रखाव) अपने खर्च पर करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार भी होगा कि वह इस सर्विस कनेक्शन/विस्तार का उपयोग अन्य किसी व्यक्ति की विद्युत आपूर्ति के लिए करे। किंतु ऐसे किसी सर्विस कनेक्शन/विस्तार से उस उपभोक्ता की आपूर्ति विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जिसने वितरण प्रणाली के विस्तार का भुगतान किया है।
- 4.7 अब अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति करने के लिए तैयार है तो वह निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में 1 महीने और उच्च दाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में 3 माह के अंदर विद्युत आपूर्ति लेने हेतु सूचना पत्र प्रेषित करेगा। यदि उपभोक्ता सूचना पत्र के अवधि के अंदर आपूर्ति लेने में असफल रहता है तो वह सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि के अगले दिन से अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार देय प्रभारों का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

सर्विस कनेक्शन/विस्तार कार्य और उपभोक्ताओं के दायित्व

- 4.8 आवेदक, जब उससे अपेक्षा की जावे विद्युत आपूर्ति के लिए सर्विस लाईन की लागत का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी को करेगा। ऐसी सर्विस लाईन की वितरण तारों से आपूर्ति बिन्दु तक, जहां कि मीटर स्थापित किया जाना हो, लम्बाई, तीस मीटर से अधिक नहीं होगी। सर्विस लाईन शिरोपरि या केबल के साथ भूमिगत हो सकेगी और उसमें किसी प्रकार का जोड़ मान्य नहीं होगा। सर्विस लाईन की लागत के अतिरिक्त उपभोक्ता सुरक्षानिधि और एग्रीमेंट चार्ज का अपेक्षित भुगतान करेगा।

तथापि ऐसे मामलों में जहां कि वितरण तारों का विस्तार अपेक्षित हो वहां उपरोक्त प्रभारों के अतिरिक्त, उपभोक्ता से यह भी अपेक्षा की जावेगी वह ऐसे विस्तार की लागत वास्तविक आधार पर वहन करे।

नये संयोजनों के सभी मामलों में, चाहे उसमें विस्तार कार्य शामिल हो अथवा नहीं, उपभोक्ता अनुज्ञप्त अधिकृत ठेकेदारों के माध्यम से सर्विस लाईन या उसके विस्तार का कार्य करवा सकेगा। ऐसे सभी मामलों में सामग्री तथा मजदूरी की कुल लागत के 15 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार देना उपभोक्ता के लिए आवश्यक होगा।

- 4.9 अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तारों से उपभोक्ता परिसर तक सर्विस लाईन खींचने का कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार उपभोक्ता किसी अधिकृत अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के द्वारा करवा सकेगा। अति उच्चदाब एवं उच्च दाब तारों के विस्तार के कार्य आवश्यक उपकेन्द्र और निम्न दाब तारों का विस्तार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आंकलित और स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार, उपभोक्ता किसी योग्य अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के द्वारा करवा सकेगा। जहाँ तक हो सके, वह सामग्री सुसंगत बी. आई. एस. विशिष्टियों या उसके समकक्ष और आई. एस.आई चिन्ह धारी होगी। अनुज्ञप्तिधारी प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जाँच के लिए आवश्यक दस्तावेजों की मांग कर सकेगा।
- 4.10 उपभोक्ता खण्ड 4.54 में दी गई समय सीमा में कार्य पूर्ण करेगा और ऐसा न हो पाने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी 15 दिनों की सूचना देकर आपूर्ति के आवेदन को निरस्त कर सकेगा।

आपूर्ति हेतु आवेदन

- 4.11 विद्युत की आपूर्ति/अतिरिक्त आपूर्ति के लिए आवेदन विहित प्रारूप में देना होगा, जिसकी प्रतियाँ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने स्थानीय कार्यालय से मुफ्त में उपलब्ध कराई जावेगी। आवेदन प्रपत्रों का प्रारूप अनुलग्नक 1 और 2 में यथा निर्धारित होगा। आवेदन पत्र की प्राप्ति पर तत्काल पावती दी जावेगी। प्रपत्रों की छाया प्रतियाँ अथवा अनुज्ञप्तिधारी की वेब साइट से प्राप्त की गई प्रतियाँ भी उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी और अनुज्ञप्तिधारी उन्हें स्वीकर करेगा।

- 4.12 उस परिसर जिस के लिए आपूर्ति अपेक्षित है पर आधिपत्य रखने वाला व्यक्ति, आवेदन प्रस्तुत करेगा और उसमें वह पूरा नाम और यदि उपलब्ध हो तो दूरभाष क्रमांक, वह बिंदु जहाँ आपूर्ति अपेक्षित हो, सहित अपना पता भी देगा। यदि कोई सहायता या सूचना, आवेदन प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक हो, तो ऐसी सूचना उपभोक्ता को उस वितरण केन्द्र/संभाग के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय से उपलब्ध हो सकेगी, जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वह परिसर स्थित होगा। परिसर का आधिपत्यधारी, वायरिंग/मशीनों/उपकरणों की स्थापना का कार्य, ऐसे कार्यों को करने हेतु अधिकृत किसी अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करेगा।
- 4.13 उपभोक्ता आवेदन प्रपत्रों के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रातियाँ प्रस्तुत करेगा:—
- (ए) विधिक स्वामित्व के प्रमाण स्वरूप पंजीकृत विक्रय पत्र अथवा बंटवारानामा अथवा उत्तराधिकार या वारिस होने का प्रमाण पत्र या अन्तिम वसीयतनामा;
- अथवा
- कब्जे के प्रमाण जैसे वैध मुख्तियरनामा या किराये की पावती या वैध पट्टा या भाड़े का अनुबंध या सम्पत्ति के स्वामी द्वारा प्रदत्त आबंटन आदेश की प्रति;
- अथवा
- कृषि /सिंचाई पम्प सेट को आपूर्ति के मामलों में उस भूमि का, जिसमें विद्युत आपूर्ति की जानी है, खसरा नंबर दर्शाने वाले वर्तमान पाँचसाला खसरा के प्रति और सक्षम शासकीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूजल उपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र;
- (बी) यदि किसी विधि/नियमों के अधीन आवश्यक हो तो स्थानीय/विधिक प्राधिकारी का अनुमोदन/अनुमति औद्योगिक, बड़े गैर-आवासीय संयोजनों और बहु उपभोक्ता परिसरों कनेक्शनों के लिये यह आवश्यक हो सकता है। ऐसा अनुमोदन/अनुमति, स्थानीय/विधिक प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त समयावधि के भीतर दिया जाना अपेक्षित होगा।
- (सी) भागीदारी फर्म के मामले में भागीदारी विलेख, आवेदक को आवेदन प्रपत्र एवं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु दिया गया अधिकार पत्र।
- (डी) सार्वजनिक या निजी मर्यादित कम्पनियों के मामले में संस्था का ज्ञापन और संस्था की नियमावली और निगमन के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक को आवेदन प्रपत्र और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु उसके नाम से दिया गया अधिकार पत्र।
- (ई) जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ संबंधित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति।
- (एफ) लघु उद्योग की दशा में लघु उद्योग पंजीयन और अन्य उद्योग की दशा में उद्योग विभाग में पंजीयन की प्रति।
- (जी) स्टोन क्रशर, स्टोन पालिशिंग और हॉट मिक्स प्लांट को विद्युत आपूर्ति के आवेदनों की दशा में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत की जावेगी:—
- (i) संबंधित विभाग से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य जो यह दर्शाता हो कि विद्युत की आपूर्ति कम से कम दो वर्ष के लिए आवश्यक होगी, और
- (ii) आवेदक का स्थायी पता।
- (एच) उद्योग की दशा में विद्युत एवं प्रक्रिया की आवश्यकता से संबंधी परियोजना प्रतिवेदन का सुसंगत सार।

- (आई) उपभोक्ता यह भी बतायेगा की सर्विस लाईन और विस्तार कार्य, यदि कोई हो स्वयं, उसके द्वारा किये जायेगे या अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा।
- (जे) आयोग द्वारा यथा-निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया शुल्क जमा किये जाने का प्रमाण।

टीपः- सत्यापन के लिए अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कह सकेगा।

- 4.14 घरेलू या सिंगल फेज गैर-घरेलू श्रेणी के नये कनेक्शन हेतु आवेदक, यदि परिसर के विधि सम्मत कब्जेदार होने का सबूत देने में असमर्थ हो तो वितरण केन्द्र के प्रभारी द्वारा ऐसे सबूत की आवश्यकता को, लिखित रूप में इसके कारणों को दर्ज कर, समाप्त किया जा सकता है। परंतु ऐसे मामलों में आवेदक, परिसर को विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद की दशा में अनुज्ञप्तिधारी को होने वाली क्षति की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति बन्धपत्र निष्पादित कर देगा। तथापि उन मामलों में, जहां तारों का विस्तार किसी भूमि पर किया जाना आवश्यक हो, उपभोक्ता भूस्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा। ऐसे प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा बताई गई 90 दिन की औसत खपत के आधार पर सुरक्षा निधि उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराई जायेगी। इस प्रकार के परिसर में प्रदाय किये गये विद्युत कनेक्शन को, परिसर पर कानूनी अधिकार होने या किसी अन्य कानूनी सबूत के तौर पर, उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- 4.15 यदि उपभोक्ता, किसी पूर्ववर्ती अनुबंध जो कि उसके नाम में निष्पादित किया गया था या उस फर्म या कंपनी जिसके साथ वह पूर्व में भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में संबद्ध रहा हो के नाम में निष्पादित किया गया था, पर विद्युत प्रदाय के बकाया या उस परिसर, जहां नवीन कनेक्शन का आवेदन दिया जाता है, पर अन्य बकाया राशि है और यह बकाया राशि अनुज्ञप्तिधारी को देय है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति के आवेदन पर तब तक कोई विचार नहीं किया जायेगा जब तक बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता है। किसी व्यक्ति का एक नई सम्पत्ति का अधिष्ठाता बनने पर यह दायित्व होगा कि आधिपत्य ग्रहण करने के पहले वह पूर्व महीनों के विद्युत बिलों की जांच करे अथवा आपूर्ति संयोजन के विच्छेदित रहने की स्थिति में परिसर के अधिष्ठापन के शीघ्र पहले, अनुज्ञप्तिधारी के अभिलेखों से बकाया राशि की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि बिल में दर्शायी बकाया विद्युत राशि का निपटान एवं भारमोचन हो चुका है। ऐसे किसी व्यक्ति के आवेदन पर उस परिसर में पूर्व में या वर्तमान में स्थापित कनेक्शन पर बकाया राशि का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी बाध्य होगा।
- 4.16(i) किसी उपभोक्ता को, उसके संपूर्ण परिसर के लिए किसी एक बिन्दु पर विद्युत की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्ति की शर्तों एवं निबंधनों के उद्देश्य से परिसर पृथक-पृथक जाने जावेंगे:-
- यदि स्वामित्व विभिन्न व्यक्तियों का हो या इसे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पट्टे पर लिया गया है तो यह संयोजन के समय कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिये वैध हो;
 - यदि घरेलू श्रेणी के भवन जिनके पास परिसर को पृथक दर्शाने हेतु स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी संबधित दस्वावेज हो;
 - ऐसे घरेलू परिसर, जिसका कोई भाग गैर-घरेलू उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जा रहा हो; तथा
 - ऐसी औद्योगिक स्थापनायें हो, जो विभिन्न उत्पादों का एकल उत्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में उत्पादन नहीं करते हैं और उनका भौतिक अस्तित्व पृथक एवं भिन्न हो।
- (ii) प्रत्येक पृथक परिसर को पृथक बिन्दु पर विद्युत आपूर्ति की जावेगी।

- 4.17 उच्चदाब/अति उच्चदाब पर विद्युत की आपूर्ति के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को आवेदित कनेक्शन साध्यता की जांच के लिये निरीक्षण के दिनांक की लिखित सूचना देगा। उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के समय उपस्थित रहेगा। अति उच्चदाब पर आपूर्ति के मामले में अनुज्ञप्तिधारी और संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त निरीक्षण करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति की साध्यता की जांच करेगा तथा साध्य पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता की लाईन के प्रवेश का स्थान, मीटर, मीटरिंग इक्युपमेंट व आपूर्तिकर्ता के अन्य उपकरणों का स्थान तय करेगा। विद्युत प्रदाय की साध्यता अथवा अन्यथा की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन के प्राप्त होने के 15 दिवसों के भीतर आवेदक को दी जावेगी। उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी की लिखित अनुमति पर अपने उच्चदाब स्विच गियर तथा अन्य उपकरण, ऊर्जा प्रदाय हेतु उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के बीच में अनुबंध में आवश्यक रूप से निहित करने के पश्चात् उसी कमरे/बक्से में लगा सकेगा, परन्तु इसका किसी अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं करेगा। लाईन के अंतिम स्पान को एरियल बन्ड केबल के द्वारा लगाया जावेगा। सभी सी टी/पी टी एवं मीटर के कनेक्शन आर्मड केबल द्वारा सभी उच्चदाब एवं अति उच्चदाब कनेक्शन को दिये जावेंगे।
- 4.18 उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को 33 के. व्ही पर विद्युत आपूर्ति, सामान्यतः 33 के. व्ही. औद्योगिक संभरकों (फीडर) से की जायेगी। ऐसे उपभोक्ताओं, जिनके सतत् प्रक्रिया उद्योग हों अथवा जिनका भार 3 एम.वी. ए. या उससे अधिक हो, के प्रकरणों में विद्युत की आपूर्ति निकटतम 33/11 के. व्ही या अति उच्चदाब उपकेन्द्र से एक पृथक संभरक के माध्यम से किये जाने को प्राथमिकता दी जावेगी। किसी भी दशा में अति उच्चदाब/उच्चदाब उपकेन्द्रों को जोड़ने वाली ट्रंक लाईन को पकर्षित कर किसी अन्य उपभोक्ता को आपूर्ति नहीं की जावेगी।
- 4.19 उच्चदाब उपभोक्ताओं (11 के. व्ही. या 33 के.व्ही. दोनों पर) को सामान्यतः विद्युत की आपूर्ति ग्रामीण संभरकों से नहीं की जावेगी। यदि निकटतम 33/11 के. व्ही, या अति उच्चदाब उपकेन्द्र से पृथक फीडर खींचने की अत्यधिक लागत के कारण अथवा किसी अन्य कारण से विद्युत की आपूर्ति ग्रामीण संभरक से दी जाती है तो उपभोक्ता को सूचित किया जायेगा/कि प्रणाली की परिस्थिति के अनुसार ग्रामीण संभरकों की विद्युत आपूर्ति को प्रतिबंधित एवं विनियमित किया जावेगा। ऐसे उपभोक्ता, आपूर्ति में प्रतिबंधों के लिये अनुज्ञप्तिधारी पर क्षतिपूर्ति का दायित्व न होने का एक घोषणा पत्र अनुज्ञप्तिधारी को देंगे।
- 4.20 नये अति उच्चदाब/उच्चदाब संयोजनों के मामलों में अनुज्ञप्तिधारी साध्यता, पटाये जाने योग्य आवश्यक प्रभारों और सुरक्षानिधि की राशि एवं अनुबंध निष्पादन से संबंधित अन्य प्रभारों की जानकारी खण्ड 5.54 में निर्धारित समय सारणी के भीतर आवेदक को देगा।
- 4.21 प्रभारों, सुरक्षानिधि के भुगतान तथा अनुबंध के निष्पादन के बाद, अनुज्ञप्तिधारी, मेन्स के विस्तार का कार्य प्रारंभ करेगा। उपभोक्ता यदि चाहे तो आवश्यक पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी को कर, स्वयं कार्य का निष्पादन करा सकता है। विस्तार कार्य आवश्यक होने पर उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 90 दिवस और अतिउच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 180 दिनों की समयावधि के भीतर कार्य पूर्ण किया जायेगा। मीटरिंग प्रणाली की स्थापना सहित उपभोक्त परिसर तक लाईन के विस्तार का कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपलब्ध होने की सूचना देगा। स्थापना का कार्य पूर्ण होने पर उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण पत्र एवं विद्युत निरीक्षक से स्थापना के ऊर्जीकरण की स्वीकृति (भारतीय विद्युत नियम, 1956 का नियम 47 देखें) प्रस्तुत करेगा। खदानों के प्रकरण में खदान निरीक्षक की स्वीकृति प्रस्तुत करना आवश्यक होगी। जहाँ लागू हो, जल एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल जैसे वैधानिक प्राधिकरणों की स्वीकृति भी प्रस्तुत की जायेगी। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की स्थापना के निरीक्षण एवं परीक्षण किये जाने की दिनांक लिखित रूप से उपभोक्ता को सूचित करेगा। उपभोक्ता की स्थापना सही पाये जाने पर,

अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर को सील करेगा तथा कनेक्शन प्रदान करेगा। मीटर व मीटरिंग उपकरणों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त क्यूनिंकल में लगाया जायेगा। आवश्यक सी.टी./पी.टी और उच्चदाब मीटर पाइप में न रखकर बिना किसी जोड़ के दृष्टिगोचर होने वाले आरमर्ड केबल मात्र के द्वारा संयोजित किये जायेंगे।

ए. आपूर्ति की सामान्य शर्तें

- 4.22 सभी एकल फेज संयोजन ट्रिवन कोर केबल के द्वारा और सभी तीन फेज संयोजन में आरमर्ड केबल द्वारा विद्युत प्रदाय की जायेगी।
- 4.23 जब किसी आवेदक को विद्युत की आपूर्ति के लिए कोई निर्माण कार्य किया जाना हो, जो उपरोक्त खण्ड में वर्णित न हो और जो वितरण तन्त्र के आवर्धन के लिए आवश्यक हो, तब वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदक से वितरण तंत्र के आवर्धन हेतु लगने वाला खर्च ऐसे अनुपात में, इस तरह से प्राप्त करेगा, मानों कि वह आवेदित भार के संबंध में क्षमता वृद्धि के लिए हो। परन्तु आवेदित भार, वितरण तंत्र के आवर्धन के लिये प्रस्तावित क्षमता वृद्धि के 25 प्रतिशत से अधिक न हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी तरह के खर्च के वसूली का पात्र नहीं होगा।
- 4.24 अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन तथा सहपत्रों की जांच करेगा। आवेदन अपूर्ण पाए जाने या अन्यथा जानकारी त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में कमियों बारे में आवेदक को लिखित रूप में 05 कार्य दिवसों के अंदर सूचित किया जावेगा। आवेदक से पूर्ण किया गया आवेदन प्राप्त होते ही इसकी लिखित पावती तत्काल आवेदक को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जावेगी एवं तत्पश्चात् 03 दिवस के अंदर, अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक को स्थल निरीक्षण की प्रस्तावित दिनांक की सूचना देगा जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए आगामी 02 दिवसों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आगामी 05 दिवसों के अन्दर होगी।
- 4.25 निरीक्षण के दौरान आवेदक, अनुज्ञप्ति-धारक ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि के साथ स्थल पर उपस्थित रहेगा। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी:-
- आपस में सहमति पर विद्युत प्रारंभ करने का बिन्दु तथा मीटर लगाने का स्थान निश्चित करेगा;
 - आपूर्ति के बिन्दु तथा निकटतम वितरण मेन, जहां से विद्युत की आपूर्ति की जा सके, के मध्य के दूरी का आंकलन करेगा तथा प्रस्तावित लाईनों व उपकेन्द्रों की स्थापना का स्थान व मार्ग निर्धारित करेगा;
 - किसी स्थान पर आपूर्ति हेतु विद्युत लाईन यदि तीसरे पक्ष की संपत्ति के ऊपर से जाती है तो इसकी भी जांच करेगा; और
 - आवश्यक होने पर आवेदन पत्र में दिये गये अन्य विवरणों की सत्यता की जांच करेगा।
- 4.26 उपभोक्ता के परिसर का अग्रभाग मार्ग पर स्थित न होने पर तथा अनुज्ञप्तिधारी के वितरण मेन से खींची जाने वाली सर्विस लाईन के लिये या अन्य किसी प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति के लगे हुए परिसर से, उसके ऊपर या नीचे से (लगा हुआ परिसर उपभोक्ता एवं ऐसे उस व्यक्ति के संयुक्त स्वामित्व में हो अथवा न हो) उपभोक्ता अपने स्वयं के खर्च पर वितरण लाईन का निर्माण करने या सर्विस लाई डालने के लिए आवश्यक पहुँच रास्ता (वे-लीव), अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को देगा। जब तक वे लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था हो नहीं जाती, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति नहीं करेगा। वे-लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की शर्तों के अनुसार आपूर्ति लाईन डालने में किया गया अतिरिक्त व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा। वे-लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति के निरस्त होने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में सर्विस लाईन के किसी परिवर्तन अथवा नई सर्विस

लाईन के प्रावधान, जो इस परिस्थिति में अपरिहार्य हो जाये, की व्यवस्था उपभोक्ता को अपने स्वयं के खर्च पर करनी होगी या उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में इस कार्य की पूर्ण लागत का भुगतान उपभोक्ता को स्वयं वहन करना होगा। भुगतान न होने या भुगतान में विलम्ब की दशा में उपभोक्ता की आपूर्ति विच्छेदित किये जाने योग्य होगी।

- 4.27 उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किये गये वे-लीव, अनुज्ञप्ति या स्वीकृति की वैद्यता अथवा पर्याप्तता की पुष्टि करने का अवलंबन अनुज्ञप्तिधारी पर नहीं होगा। इनको निश्चित करने की जवाबदारी उपभोक्ता की ही होगी।
- 4.28 विद्यमान लाईन से आपूर्ति किया जाना संभव होने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि, सर्विस लाईन खींचने एवं अन्य लागू प्रभारों की राशि का एक मांग पत्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शहरी क्षेत्रों में 10 कार्यकारी दिवसों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 कार्यकारी दिवसों में उपभोक्ता को प्रेषित किया जायेगा। राशि 15 कार्यकारी दिवसों में देय होगी तथा इसके पश्चात् ही सर्विस लाईन डालने की कार्यवाही की जाएगी।
- 4.29 यदि उपभोक्ता को आपूर्ति देने में वितरण मेन का विस्तार करना आवश्यक हो तो वितरण मेन के विस्तार की राशि, सर्विस लाईन खींचने की राशि, सुरक्षा निधि की राशि तथा लागू अन्य प्रभारों का एक मांग पत्र अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्रों में 10 दिनों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों में उपभोक्ता को प्रेषित करेगा एवं उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता की सूचना भी उपभोक्ता को देगा। ऐसे प्रकरणों में जहाँ वितरण मेन्स व सर्विस लाईन इत्यादि के विस्तार का कार्य उपभोक्ता द्वारा कराया जाना है, उपभोक्ता, उपरोक्त खण्ड 4.8 में विहित पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करेगा। अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण करने के साथ आवेदक द्वारा इस राशि का पूर्ण भुगतान 15 कार्य दिवसों में किया जायेगा जिसके बाद ही सर्विस लाईन एवं वितरण मेन डालने का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में परीक्षण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी सूचित करेगा।
- 4.30 उपभोक्ता के 15 दिवसों में औपचारिकताएं पूर्ण करने में विफल रहने पर अनुज्ञप्तिधारी, अगले 15 दिनों में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु उसको सूचना देगा, जिसमें विफल रहने पर उसका आपूर्ति का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। उसके बाद आपूर्ति अथवा अतिरिक्त आपूर्ति, जैसा भी प्रकरण हो, के लिए उपभोक्ता को पुनः नया आवेदन देना होगा।
- 4.31 उपभोक्ता द्वारा ऊपर दर्शित प्रभारों का भुगतान करने, अनुबंध निष्पादित करने, और परीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने तथा सर्विस लाईन व विस्तार कार्य पूर्ण किये जाने की सूचना उपभोक्ता से प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को उसकी स्थापना के परीक्षण किये जाने के दिनांक की सूचना देगा। उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्थापना के परीक्षण के दौरान वह, अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार, जिसने वायरिंग का कार्य किया है, के साथ उपस्थित रहे।
- 4.32 उपभोक्ता की स्थापना का परीक्षण करने पर यदि अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण के नतीजों से संतुष्ट है तो अनुज्ञप्तिधारी मीटर लगाने का प्रबंध करेगा, उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर को सील करेगा और इस संहिता में दर्शाई गई समय सीमा में विद्युत प्रदाय करेगा। संतुष्ट नहीं होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, वायरिंग में पाई गई कमियों (खामियों) की लिखित सूचना उपभोक्ता को देगा। आवेदक को खामियों को दुरुस्त कराना होगा। तत्पश्चात् निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जावेगा।
- 4.33 अनुज्ञप्तिधारी, दिये जाने वाले संयोजनों की प्राथमिकता पंजी रखेगा जिसमें जानकारी निम्नलिखित श्रेणीवार रखी जावेगी:—
- (ए) जहाँ वितरण तारों का विस्तार आवश्यक नहीं है, और
- (बी) जहाँ वितरण तारों का विस्तार आवश्यक है।

4.34 निम्नदाब संयोजन के लिये भार आंकलन का आधार:-

(1) किसी भवन/भवनों के समूह या बहुउपभोक्ता परिसर के भार के आंकलन हेतु निम्नलिखित मानदण्ड लागू होंगे;

(i) आवासीय परिसरों के लिए

प्रत्येक 400 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए **भार** 1 किलोवाट

परन्तु राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत आर्थिकरूप से कमजोर वर्गों के लिये निर्मित होने वाले मकानों के लिये भार का आंकलन निम्नानुसार किया जावेगा:-

400 वर्गफीट तक के निर्मित क्षेत्र के लिए यदि:-

(ए) वह नगर निगम क्षेत्र में हो	1 किलोवाट
(बी) वह नगर पालिका क्षेत्र में हो	0.75 किलोवाट
(सी) वह नगर पंचायत/ग्राम पंचायत क्षेत्र में हो	0.50 किलोवाट

(ii) गैर-आवासीय परिसरों के लिए

प्रत्येक 200 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए एक किलोवाट के लिए

(2) हाउसिंग कालोनी एवं उनके गैर-आवासीय भूखण्डों जो हाउसिंग कालोनी में हैं, के भार के आंकलन हेतु निम्नलिखित मानदण्ड लागू होंगे;

(i) आवासीय कालोनियों के लिए

प्रत्येक 500 वर्गफीट के भूखण्ड क्षेत्र या उसके भाग के लिए एक किलोवाट

(ii) गैर-आवासीय भूखण्ड के लिए

प्रत्येक 200 वर्गफीट के भूखण्ड क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए एक किलोवाट लिए

टीप:-

- (ए) भार का आंकलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाएगा।
- (बी) सार्वजनिक सुविधाओं जैसे लिफ्ट,वाटर पम्प,सड़क बत्ती आदि के लिए डेवलपर/बिल्डर/संस्था/उपभोक्ता द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भार लिया जाएगा।
- (सी) उपरोक्त प्रक्रिया उपभोक्ता/ बहुउपभोक्ता परिसरों /आवासीय कालोनी के भार आंकलन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से है; तथापि सुरक्षानिधि इत्यादि उपभोक्ता द्वारा घोषित और उपभोक्ता विशेष को संयोजन उपलब्ध करते समय दिये गये जाँच प्रतिवेदन में बताये गये विद्युत भार के अनुसार परिगणित की जाएगी।
- (डी) भार की गणना के लिए आवासीय बहुउपभोक्ता परिसरों की दशा में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के निर्मित क्षेत्र लिये जाएंगे जबकि शैक्षणिक संस्थान और गैर-रहवासी बहुउपभोक्ता परिसरों के लिए परिसर का संपूर्ण निर्मित क्षेत्र लिया जावेगा।

बी. बहु उपभोक्ता परिसर एवं हाउसिंग कालोनी को आपूर्ति की विशेष शर्तें:-

- 4.35 नई विद्युत आपूर्ति देने के उद्देश्य से ऐसा भवन अथवा भवनों का समूह जिसमें एक से अधिक कनेक्शन दिये जाने हों एवं (खण्ड 4.34 के अनुसार आंकलित)कुल विद्युत भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक हो, को बहुउपभोक्ता' परिसर माना जायेगा। बहु-उपभोक्ता परिसर में आवासीय, गैर-आवासीय और वाणिज्यिक परिसर, हाउसिंग कालोनी, कार्यालय परिसर, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान भी सम्मिलित होंगे। शैक्षणिक संस्थानों को एकल संयोजन उपलब्ध कराया जावेगा।
- 4.36 बहुउपभोक्ता परिसर को पर्याप्त क्षमता के एक पृथक वितरण ट्रांसफार्मर के द्वारा, जो 100 के. व्ही. ए. से कम नहीं हो, विद्युत आपूर्ति की जावेगी। 11 के. व्ही. की लाईन व निम्नदाब लाईन/केबल के विस्तार कार्य की लागत डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता द्वारा वहन की जावेगी, जो संयोजन हेतु आवेदन देगा।
- 4.37 यदि ऐसा आवेदक 11 के. व्ही लाईन एवं/अथवा निम्नदाब लाईन भूमिगत केबल के द्वारा लगाना चाहे तो उपयुक्त भारतीय मानकों के अनुसरण की शर्त पर उसे ऐसा करने की अनुमति होगी।
- 4.38 यदि ऐसा उपभोक्ता 11/0.4 के. व्ही के 315 के. व्ही.ए. से अधिक का ट्रांसफार्मर विशेष प्रकार के उपकरण (आई. एस. आई. मार्क के साथ) के साथ उपलब्ध कराना चाहे, तो उसे समान क्षमता की एक अतिरिक्त ईकाई स्थापित करनी होगी।
- 4.39 आवेदक 11 के. व्ही. लाईन, उपकेन्द्र, बे (bay), वितरण ट्रांसफार्मर और निम्नदाब लाईन/केबल की लागत सहित विस्तार की लागत वहन करेगा।
- 4.40 यदि बहुउपभोक्ता परिसर/हाउसिंग कालोनी का खण्ड 4.34 में यथा-निर्धारित कुल भार, सभी चरणों को सम्मिलित करने पर 2150 किलोवॉट से अधिक हो तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि, जो 40x30 मीटर से कम नहीं होगी, रु. 1 के प्रतीकात्मक प्रीमियम पर उपलब्ध करायेगा। स्थल का चयन आवेदक से परामर्श कर क्षेत्र के प्रभारी कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जावेगा।
- 4.41 यदि आवेदक भवन के भीतर ट्रांसफार्मर स्थापित करना चाहे, तो वह ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र एवं मीटर के लिये आवश्यक स्थान निः शुल्क उपलब्ध करायेगा। ट्रांसफार्मर खुले स्थान में रखने को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि ट्रांसफार्मर किसी कक्ष या बन्द क्षेत्र में स्थापित करना अपरिहार्य हो, तो प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे।
- 4.42 अतिरिक्त निर्माण या अतिरिक्त विद्युत भार आवश्यकता के कारण यदि कोई भवन/भवनों का समूह बहुउपभोक्ता परिसर की श्रेणी में आता है और यदि ऐसे भवन/भवनों को आपूर्ति प्रदान करने हेतु पर्याप्त क्षमता का पृथक वितरण ट्रांसफार्मर पूर्व में उपलब्ध न कराया गया हो तो वह आवेदक द्वारा मूल्य वहन करने पर उपलब्ध कराया जावेगा। इस हेतु यदि विद्यमान ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की क्षमता का वर्धन आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उपभोक्ता द्वारा लागत वहन किये जाने पर, ऐसा किया जा सकेगा।
- 4.43 ऐसे कई मामले हैं जहाँ किसी डेव्लपर/बिल्डर या डेव्लपरों/बिल्डरों के समूह द्वारा भूखण्डों या भवनों का अंशतः अथवा पूर्णतः विकास और निर्माण किया गया है, परन्तु उसके लिए राज्य शासन/स्थानीय निकायों/सक्षम प्राधिकारियों ने समुचित विधियों और नियमों के अधीन आवश्यक अनुमति/सहमति नहीं दी गई है। ऐसे मामलों में सामान्यतः भूखण्डों/भवनों का क्रेता व्यक्ति विद्युत संयोजन हेतु आवेदन देता है। ऐसे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को संपूर्ण हाउसिंग कालोनी/परिसर, जिसका कि वह हिस्सा हो, के संपूर्ण बाह्य विद्युतीकरण की लागत का

आनुपातिक भुगतान करने पर संयोजन प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक एकल फेज और तीन फेज संयोजनों के लिए आनुपातिक लागत की परिगणना अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में हाउसिंग कालोनियों/बहुउपभोक्ता परिसरों के विद्युतीकरण पर पूर्व में हुये व्ययों के औसत के आधार पर की जावेगी। आयोग द्वारा समय-समय पर ऐसे प्रभारों का निर्धारण किया जावेगा। ऐसी कालोनियों के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं द्वारा कालोनियों/भवनों के समूहों के बाह्य विद्युतीकरण की लागत भी वहन की जावेगी। ऐसी कालोनियों के विद्यमान आवेदक(कों) संयोजन जारी करने के लिए आवश्यक सभी विस्तार कार्य, जिसमें 11 के.व्ही लाईन का विस्तार और यदि आवश्यक हो तो ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की स्थापना भी सम्मिलित है, कुल लागत का कम से कम 25 प्रतिशत भुगतान किये जाने की शर्त पर किया जावेगा। यदि आवेदक(कों) द्वारा देय राशि विस्तार कार्य की लागत के 25 प्रतिशत से कम हो तो आवेदक शेष राशि अपने भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात में वहन करेंगे ताकि अनुज्ञप्तिधारी विस्तार कार्य कर सके।

सी. निम्न दाब कृषि/सिंचाई पम्प सेटों को विद्युत आपूर्ति-विशेष शर्तें

- 4.44 किसी पंजीकृत सहकारी समिति या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मान्य किसी किसानों के समूह को किसी एक बिन्दु पर कृषि/सिंचाई पम्प सेटों के लिए विद्युत प्रदाय की जावेगी।
- 4.45 आयोग द्वारा समय-समय पर खर्च की वह सीमा निर्धारित की जावेगी, जहाँ तक कृषि/सिंचाई पम्प सेटों को विद्युत की आपूर्ति पर होने वाले व्यय को अनुज्ञप्तिधारी वहन करेगा। आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होने वाले व्यय को उपभोक्ता वहन करेगा।
- 4.46 यदि निरीक्षण में लाईन का विस्तार आवश्यक न पाया जावे तो निरीक्षण से 10दिन के भीतर और यदि लाइन का विस्तार आवश्यक पाया जावे तो निरीक्षण से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता को यह सूचना दी जावेगी कि अनुज्ञप्तिधारी अपनी निधि से कार्य प्रारंभ करेगा अथवा अतिरिक्त लागत की राशि उपभोक्ता द्वारा जमा कराये जाने के बाद कार्य प्रारंभ होगा। यदि उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त राशि जमा कराया जाना आवश्यक हो तो उसे पत्र द्वारा वह निश्चित राशि सूचित की जावेगी जो उसके द्वारा जमा की जानी हो।
- 4.47 यदि राज्य शासन कृषि पम्पों को विद्युत आपूर्ति हेतु लगने वाली अतिरिक्त लागत को पूर्णतः या अंशतः वहन करना चाहे तो ऐसी सबसिडी की राशि अनुज्ञप्तिधारी के पास अग्रिम में जमा करानी होगी। अनुज्ञप्तिधारी भी सिंचाई पम्पों को विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक वितरण तारों का विस्तार और/या वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य राज्य या केन्द्र शासन या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं की किसी योजना के अधीन उपलब्ध वित्तीय सहायता के आधार पर कार्य करने की सम्भावनायें तलाश करेगा।

डी. सार्वजनिक सड़क बत्तियों को आपूर्ति-विशेष प्रावधान

- 4.48 नवीन अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक सड़क बत्तियों को विद्युत आपूर्ति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय या शासकीय विभाग या सार्वजनिक सड़क बत्तियों के रख-रखाव हेतु शासन द्वारा उत्तरदायी बनाये गये किसी अन्य संगठन (जिसे सार्वजनिक सड़क बत्तियों के संदर्भ में आगे सामान्यतः "स्थानीय निकाय" कहा जायेगा) के द्वारा दिया जायेगा।
- 4.49 सड़क बत्तियों के आवेदन के साथ स्थानीय निकाय का संकल्प एवं जहां सड़क बत्तियों की आवश्यकता है वहां के विद्यमान या नवीन खंभों की संख्या दर्शाते हुये नक्शा प्रस्तुत करना होगा। यदि स्थानीय निकाय, जो नवीन सड़क बत्ती कनेक्शन के लिये आवेदन कर रहा है, पर किसी अन्य कनेक्शन के विरुद्ध विद्युत का बकाया है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी सड़क बत्ती कनेक्शन प्रदान नहीं करेगा, जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जावे।

- 4.50 फिटिंग्स, ब्रेकेट्स तथा विशेष फिटिंग्स भारतीय मानक संस्थान के द्वारा निर्धारित मापदण्डों या इसके समतुल्य के अनुरूप होंगे तथा विद्यमान नियमों एवं विनियमों के तहत सुरक्षात्मक दूरी पर लगाये जावेंगे। समस्त फिटिंग्स व ब्रेकेट्स सहित सार्वजनिक सड़क बत्ती की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की पूर्ण लागत, स्थानीय निकाय को वहन करनी होगी।
- 4.51 अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन के दिनांक से 30 दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में तथा 15 दिनों में शहरी क्षेत्र में, विस्तार कार्य की लागत की सूचना देगा। स्थानीय निकाय द्वारा राशि का भुगतान एवं अनुबन्ध निष्पादित करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 4.52 विद्युत मीटर एवं सड़क बत्ती स्विच/एम.सी.बी./ टाईमर की स्थापना के लिये एक समुचित डबल कम्पार्टमेन्ट वेदर प्रूफ मैटल बाक्स (द्विखंडीय मौसम-रोधी धातु का बक्सा) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाया जायेगा नगर निगम क्षेत्र में टाईमर स्विच के साथ कनेक्शन दिया जावेगा।
- 4.53 अनुज्ञप्तिधारी, सड़क बत्ती को, स्थानीय सूर्यास्त के समय से 15 मिनट पूर्व चालू करने एवं स्थानीय सूर्योदय के समय से 15 मिनट के बाद बंद करने की व्यवस्था करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, सड़क बत्ती उपभोक्ताओं के निवेदन पर खंबों पर लगे फिक्सचर्स/बल्बों के बदलने का कार्य भी करेगा। फिक्सचर्स, बल्ब इत्यादि स्थानीय निकाय द्वारा प्रदाय करने के सात दिन के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बदलें जायेंगे। ऐसी समस्त सेवायें भुगतान योग्य होंगी। ऐसे रख-रखाव प्रभारों को विविध प्रभारों (शेड्यूल ऑफ मिसलेनियस चार्जस) की अनुसूची में शामिल किया जायेगा।

4.54 आपूर्ति से संबंधित विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण करने हेतु सारिणी

निम्नलिखित सारणी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को कनेक्शन देने के लिए नियत अवधि को दर्शाती है:-

क्रमसंख्या	सेवा का प्रकार	सेवा के लिए निर्धारित समय-सीमा
1. (ए)	निम्नदाब कनेक्शन पूर्ण आवेदन प्राप्त उपरांत स्थल निरीक्षण के लिए उपभोक्ता को सूचना जारी करना	03 कार्य दिवस
(बी)	सूचना भेजने उपरांत निरीक्षण करना (i) शहरी क्षेत्र (ii) ग्रामीण क्षेत्र	02 कार्य दिवस 05 कार्य दिवस
(सी)	(i) आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य की आवश्यकता नहीं हो और कनेक्शन विद्यमान वितरण मेन्स से दिया जाना है) (ए) शहरी क्षेत्र (बी) ग्रामीण क्षेत्र	05 कार्य दिवस 07 कार्य दिवस
	(ii) आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य आवश्यक है या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना है) (ए) शहरी क्षेत्र (बी) ग्रामीण क्षेत्र	10 कार्य दिवस 22 कार्य दिवस

(डी)	आपूर्ति की उपलब्धता की सूचना जारी करना/कनेक्शन प्रदाय करना, जहां अनुज्ञापितधारी की वितरण प्रणाली विद्यमान हो (i) आवश्यक प्रभारों के भुगतान के बाद (यदि कनेक्शन को विद्यमान वितरण मेन्स से दिया जाना है) (ए) शहरी क्षेत्र (बी) ग्रामीण क्षेत्र	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस
	(ii) विद्युत आपूर्ति चालू करने हेतु आवश्यक प्रभारों के भुगतान के उपरांत (यदि विस्तार कार्य आवश्यक है या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना है) (ए) कृषि कनेक्शन, को छोड़कर बाकी सभी कनेक्शन (बी) कृषि कनेक्शन, ऐसे मौसम में जब खेत तक पहुंच उपलब्ध है। (सी) कृषि कनेक्शन, ऐसे मौसम में जब पहुंच उपलब्ध नहीं है।	60 दिन 90 दिन 180 दिन, पहुंच उपलब्ध कराने की तिथि के उपरान्त
2. (ए) (बी) (सी)	उच्च दाब उपभोक्ता आवेदन मिलने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (सूचना जारी होने के बाद) प्राक्कलित प्रभारों के भुगतान उपरांत विद्युत प्रदाय प्रारम्भ करने के लिये विद्युत प्रदाय उपलब्धता की सूचना देने/ विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने की अवधि (i) यदि विस्तार कार्य न किया जाना हो (ii) यदि विस्तार कार्य किया जाना हो	15 कार्य दिवस 30 दिन 30 दिन 90 दिन
3. (ए) (बी) (सी)	अति उच्चदाब कनेक्शन आवेदन मिलने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना साध्यता सूचना जारी करने के बाद प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना प्राक्कलित प्रभार की राशि मिलने के बाद विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत उपलब्धता की सूचना जारी करना/ कनेक्शन प्रदाय करना।	15 कार्य दिवस 60 दिन 180 दिन (लाईन विस्तार कार्य होने के कारण) (उपभोक्ता द्वारा विद्युत निरीक्षक से स्वीकृति प्राप्त कर जमा करने के अधीन)

ई. निम्न दाब और उच्च/अतिउच्च दाब पर विद्युत की अस्थायी आपूर्ति

- 4.55 कोई व्यक्ति, जिसे एक वर्ष से कम अवधि के लिये अस्थायी स्वरूप के प्रयोजन हेतु विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता हो, निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 1 व 2) में अस्थायी विद्युत प्रदाय के लिये आवेदन पत्र दे सकता है। अस्थायी आपूर्ति सामान्यतः एक वर्ष तक की अवधि के लिए देय होगी, जो उपयुक्त मामले में और एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। अस्थायी आपूर्ति आवेदित संपूर्ण अवधि के लिए एक ही बार में की जावेगी न कि किशतों में।
- 4.56 अस्थायी कनेक्शन दिया जाना कोई अधिकार का विषय नहीं है यह केवल तभी दिया जा सकता है जब वह तकनीकी रूप से साध्य हो और यह भारतीय विद्युत नियम 1956 और/या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 53 के अधीन विनिर्मित विनियमों में विहित सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन करने के अधीन होगा। अस्थायी आपूर्ति के लिए आवेदन सामान्यतया आपूर्ति आरम्भ होने के अपेक्षित दिन के सात पूर्व दिया जावेगा।
- 4.57 उन मामलों में जहाँ अस्थायी आपूर्ति निर्माण उद्देश्यों के लिए अपेक्षित हो, तथा जहाँ बाद में स्थायी कनेक्शन आवश्यक हो वहाँ अस्थायी आपूर्ति की स्वीकृति देने पूर्व स्थायी संयोजन की

साध्यता परीक्षित की जाएगी। अस्थायी संयोजन प्रारम्भ करने के पूर्व आवेदक को बाद में लगने वाले स्थायी संयोजन की साध्यता के बारे में बताया जावेगा।

- 4.58 जहां अस्थायी कनेक्शन की आवश्यकता हो, आवेदक अपने व्यवसाय का प्रमाण अथवा स्थानीय प्राधिकारी या परिसर के स्वामी की अनुमति, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करेगा, जैसा कि खण्ड 4.13 में बताया गया है।
- 4.59 यदि विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव है तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को विस्तार कार्य, सर्विस लाईन और मीटर सहित आवेदित आपूर्ति की अवधि के दौरान सम्भावित खपत, उपकरणों और सामग्रियों के भाड़े सहित भुगतान किये जाने वाले प्रभारों की सूचना देगा। ये सभी प्रभार अग्रिम देय होंगे। वर्तमान में प्री-पेड मीटरों का उपयोग अस्थायी आपूर्ति के लिए नहीं किया जा रहा है। ऐसी सभी आपूर्तियों के लिए इन विनियमों की अधिसूचना से एक वर्ष के पश्चात् प्री-पेड मीटरों का उपयोग किया जावेगा।
- 4.60 उपभोक्ता को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि आपूर्ति के विच्छेदन के पश्चात् वह उपयोग में लाई गई सामग्रियों को वापस प्राप्त करे अथवा उस सामग्री, जो अच्छी स्थिति में निकाली जाकर भण्डार में वापस किये जाने योग्य हो, के डेप्रिश्येटेड मूल्य का समायोजन उसके अंतिम बिल में प्रचलित नियमानुसार प्राप्त करे।
- 4.61 यदि 90 दिवस से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी आपूर्ति की आवश्यकता है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को 90 दिवस की आंकलित खपत के प्रभारों के अग्रिम भुगतान की अनुमति दे सकेगा। वह मासिक खपत के बिलों को प्रेषित करेगा और भुगतान की गई राशि का आवश्यक सामायोजन करेगा। ऐसी दशा में जब उपभोक्ता समय पर बिलों का भुगतान करने में असफल रहे और अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा शेष अवधि की अग्रिम राशि से प्रभार वसूले न जा सकते हों तो ऐसी आपूर्ति विच्छेदित कर दी जाएगी।
- 4.62 जहाँ वितरण तारों का विस्तार आवश्यक न हो वहाँ उपभोक्ता द्वारा प्रभारों का भुगतान किये जाने एवं अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति कर दिये जाने के तीन दिनों भीतर अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति प्रारम्भ करेगा। जहाँ विस्तार कार्य किया जाना आवश्यक हो वहाँ निम्न दाब उपभोक्ता के मामले में 30 दिवस और उच्च/अतिउच्च दाब उपभोक्ताओं के मामलों में 60 दिवस के भीतर आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जावेगी।
- 4.63 अस्थायी संयोजन की दशा में संयोजन बिन्दु से आपूर्ति बिन्दु तक के तारों की देख भाल के लिए उपभोक्ता उत्तरदायी होगा।
- 4.64 अस्थायी कनेक्शन की अवधि में यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक खपत के प्रभार अग्रिम भुगतान की गई राशि से अधिक न हो, मीटर का वाचन किया जा सकेगा।
- 4.65 अस्थाई प्रदाय की अवधि पूरी होने तथा आपूर्ति के विच्छेदन के पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी, अंतिम बिल तैयार करेगा तथा आपूर्ति के विच्छेदन के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपभोक्ता को प्रेषित करेगा तथा शेष वापसी योग्य राशि, यदि कोई हो, को मूल भुगतान रसीद प्राप्त करने अथवा क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिवस के अन्दर वापस करेगा। इस अवधि से ज्यादा विलम्ब के दिनों की संख्या के लिए, अनुज्ञप्तिधारी, वापसी योग्य बकाया राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान, भुगतान आवेदन तिथि से अधिक विलंब दिवसों के लिये, करने के लिये बाध्य होगा।

अपवाद

- 4.66 इस अध्याय में उल्लेखित कोई भी बात अनुज्ञप्तिधारी को किसी परिसर में विद्युत प्रदाय हेतु बाध्य नहीं करेगी, यदि इस संहिता की कण्डिका 12.1 में उल्लेखित विशेष आकस्मिक परिस्थितियां अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय करने से रोक रही हों।
- 4.67 आयोग ऐसे कारणों से जो अभिलेखित किये जायेंगे, खण्ड 4.1 से 4.65 के प्रावधानों से विचलन को अनुमति दे सकेगा, यदि उसकी राय में, उन परिस्थितियों में ऐसा विचलन उचित हो। आयोग ऐसी अनुमति अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता, किसी के भी निवेदन पर दे सकेगा।
5. **संहिता के खण्ड 6.15 की पहली पंक्ति निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जावे:-**
“ कृषि/सिंचाई उपभोक्ताओं को छोड़कर प्रत्येक निम्न दाब उपभोक्ता, जिनके संयोजित भार में 3 बी.एच.पी. या उससे अधिक क्षमता की इंडक्शन मोटर सम्मिलित हो, अपने स्वयं की लागत पर अपने मोटर के टर्मिनल के बीच समुचित क्षमता वाले निम्न दाब शन्ट केपीसिटर स्थापित करने की व्यवस्था करेगा। उन कृषि पम्प उपभोक्ताओं के मामलों में जिनके पास 5 एच पी से अधिक क्षमता के इंडक्शन मोटर संयोजित हो वे भी समुचित क्षमता के निम्न दाब शन्ट केपीसिटर स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे।”
6. **संहिता के खण्ड 7.4 (सी) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे :-**
“यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सुरक्षानिधि की राशि और अतिरिक्त अधोसंरचना की लागत जमा कराई जावेगी; और”
7. **संहिता के खण्ड 7.6 (सी) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे :-**
“अतिरिक्त सुरक्षानिधि और तंत्र में किये जाने योग्य परिवर्धन या परिवर्तन, यदि कोई हो तो, उसकी लागत का भुगतान करेगा”
8. **संहिता के खण्ड 7.8 ए को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे;-**
“7.8 ए. यदि कोई उपभोक्ता जिसने संयोजित भार/संविदा मांग में कमी की हो, चाहे वह किसी भी कारण से हो, अपना भार एक वर्ष के भीतर पुनर्स्थापित करना चाहे तो वह ऐसा करने हेतु अनुमत होगा परन्तु ऐसा पुनर्स्थापन इस शर्त के अधीन होगा कि भार/मांग में कटौती पूरक अनुबंध से अगले एक वर्ष के भीतर अनुमत नहीं होगी।”
9. संहिता के खण्ड 8.7 के अंतिम वाक्य से “ और कटआउट/एम.सी.बी. या “ विलोपित किया जावे।
10. खण्ड 8.7 के पश्चात निम्नानुसार 8.7 ए और 8.7 बी पूर्व में नये खण्ड जोड़े जावें:-
“8.7 ए बहुमंजिल परिसरों के मामले में मीटर एक स्थान पर सामान्यतः पिलर बाक्स में किसी एक स्थान पर लगाये जावेंगे, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी निश्चित करे।”
“8.7 बी निम्न दाब अस्थायी कनेक्शन के लिए मीटर, वितरण तारों या सर्विस लाईन के विस्तार के बिन्दु पर उपलब्ध कराया जाएगा।”
11. संहिता के खण्ड 8.12 (i) से “ कटआउट/एम.सी.बी. “ विलोपित किया जावे।
12. संहिता के खण्ड 9.1 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-

विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए मीटर वाचन के अन्तराल सहित मीटर वाचन की सारणी के प्रभावशील होने का दिनांक निम्नानुसार है:-

उपभोक्ता श्रेणी	वर्तमान अन्तराल	मीटर वाचन हेतु लक्ष्य दिनांक 01.04.08 से प्रभावी	मीटर वाचन हेतु लक्ष्य दिनांक 01.04.09 से प्रभावी
नगर निगम की सीमाओं भीतर स्थित घरेलू उपभोक्ता	दो माह में एक बार	प्रति माह	-----
अन्य शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता	दो माह में एक बार	-----	प्रति माह
ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता	तीन माह में एक बार	-----	प्रति माह
गैर घरेलू			
शहरी	प्रति माह	-----	-----
ग्रामीण	दो माह में एक बार	प्रति माह	-----
कृषि			
शहरी	दो माह में एक बार	प्रति माह	-----
ग्रामीण	तीन माह में एक बार	-----	प्रति माह
सड़क बत्ती, जल संयंत्र	प्रति माह	-----	-----
निम्न दाब औद्योगिक	प्रति माह	-----	-----
उच्च दाब	प्रति माह	-----	-----

टीप:- घरेलू उपभोक्ताओं संबंधी मीटर का वाचन दिन के उजाले में किया जावेगा। जहाँ तक सम्भव हो, मीटर वाचन, प्रत्येक माह किसी निश्चित दिनांक को ही किया जावे।

13. संहिता के खण्ड 11.4 के उपखण्ड (vii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जावे :-
“जहां विद्युत की आपूर्ति अधिकृत थी, उन क्षेत्रों या परिसरों से ईतर अन्य परिसरों या क्षेत्रों के लिए”
14. संहिता के खण्ड 11.6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे :-
(i) निर्धारक/अधिकृत अधिकारी विद्युत के अनधिकृत उपयोग की उस संपूर्ण अवधि के लिए, जिसमें कि अनधिकृत उपयोग हुआ हो, देयक तैयार करेगा। तथापि यदि ऐसी अवधि ज्ञात न की जा सकती हो तो निरीक्षण के दिनांक से ठीक पूर्व के 12 महीनों की अवधि तक के लिए निर्धारण किया जावेगा।
(ii) उन मामलों में जहां, संयोजन प्रदान करने से एक वर्ष की अवधि पूरी न हुई हो, वहां निर्धारण संयोजन के दिनांक से निरीक्षण के दिनांक तक की अवधि के लिए किया जावेगा।
(iii) तथापि जहां परिसरों में इलेक्ट्रॉनिक मीटर स्थापित हो, ऑकड़ों का विश्लेषण कर विद्युत का अनधिकृत उपयोग जारी रहने की सही अवधि ज्ञात कर उस अवधि को निर्धारण के उद्देश्य से लिया जावेगा।
15. संहिता के खण्ड 11.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे :-
“ निर्धारण, संबंधित उपभोक्ता श्रेणी को तत्समय लागू टैरिफ के दुगने दर से किया जावेगा।”
16. संहिता के खण्ड 11.9 के परन्तुक को विलोपित किया जावें।
17. संहिता के खण्ड 11.10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे :-
“ कोई भी व्यक्ति, जिसे खण्ड 11.9 के अनुसार अस्थायी निर्धारण आदेश तामील कराया गया हो, वह उस निर्धारण को स्वीकार सकेगा और उस अस्थायी निर्धारण आदेश की, उसे हुई तामिली के दिनांक से सात दिनों भीतर, निर्धारित राशि जमा करेगा।

अस्थायी निर्धारण की संपूर्ण राशि के प्राप्त के उपरांत, अनुज्ञप्तिधारी, आपूर्ति बहाल कर देगा। खण्ड 11.12 के अनुसार अंतिम निर्धारण लंबित रहते अस्थायी निर्धारण राशि का आधा भाग प्राप्त हो जाने पर भी अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति बहाल कर सकेगा।”

18. संहिता के खण्ड 11.12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे :-

“ कोई व्यक्ति जो अंतिम आदेश से क्षुब्ध हो अंतिम आदेश के दिनांक से 30 दिनों भीतर, नियमों में राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा, बशर्ते कि निर्धारित राशि का आधा उसने अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा कर दिया हो और ऐसी राशि जमा करने का दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न करेगा।

19. संहिता के खण्ड 11.17 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे :-

“ जो कोई बेईमानी पूर्वक

(ए) किसी अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता, जैसा भी मामला हो, शिरोपरि, भूमिगत अथवा जलगत लाईनों या केबलों या परिवेषण तार या सेवा सुविधाओं से अपकर्षण या संयोजन करेगा अथवा ऐसा करवायेगा, अथवा

(बी) मीटर खराब (विकृत) करेगा या खराब मीटर स्थापित अथवा प्रयुक्त करेगा, करंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर लूप संयोजन अथवा किसी अन्य साधनों या विधि से, जिसके द्वारा विद्युत धारा का त्रुटिहीन एवं उचित विवरण, परिगणना अथवा मापन में हस्तक्षेप किया जाता है, या अन्यथा जिसका परिणाम ऐसे रीति में विद्युत की चोरी या उसका अपव्यय होना हो; अथवा

(सी) विद्युत के उचित एवं त्रुटिहीन मापन में हस्तक्षेप करते हुए किसी विद्युत मीटर, औजारों उपकरणों या तारों को क्षति पहुंचाता है या उन्हें नष्ट करता है या करवाता है या किसी को ऐसा करने देता है, ताकि उससे विद्युत का उपभोग एवं उपयोग किया जा सके; अथवा

(डी) किसी खराब मीटर के माध्यम से विद्युत का उपयोग करता है; अथवा

(ई) विद्युत के अधिकृत उपयोग से ईतर किसी अन्य उद्देश्य के लिए विद्युत का उपयोग करता है,

वह, धारा 135 के प्रावधानों और नियमों के अधीन दण्ड का भागी होगा।

किसी व्यक्ति को जब भार में बाधा डालने, उपभोग या उपयोग कर लेने या बाधा डालने उपभोग करने या उपयोग करने का प्रयास करने पर, जो 10 किलोवाट से अधिक हो, दूसरे या अधिक बार सजा सुनाई जावे तो ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी अवधि के लिए जो तीन महीनों से कम न हो परन्तु दो वर्ष तक विस्तारित की जा सकती हो विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने से भी वंचित और वह ऐसी अवधि में किसी अन्य स्रोत या उत्पादन केन्द्रों से विद्युत प्राप्त नहीं कर सकेगा।

यदि यह प्रमाणित हो जाये कि कोई कृत्रिम साधन जो मंडल या अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अधिकृत न हो, पाई जावे, तो यह उपधारणा की जावेगी कि बेईमानी पूर्वक विद्युत के उपयोग/उपभोग या उसमें अवरोध किया गया है, जब तक कि उसके विपरीत साबित न कर दिया जावे।

अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता, जैसा भी प्रकरण हो, विद्युत चोरी का प्रकरण पाये जाने की दशा में तत्काल विद्युत की आपूर्ति विच्छेदित कर देगा।

परन्तु ऐसा विच्छेदन निम्नदाब की दशा में अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता के ऐसे व्यक्ति जो जूनियर इंजीनियर या समकक्ष से निचले पद का न हो, और उच्चदाब संयोजन

की दशा में कार्यपालन यंत्री या समकक्ष से निचले पद का न हो, अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो इस खण्ड में वर्णित पदों से उच्च पद पर कार्यरत् हो, के द्वारा किया जा सकेगा।

परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा आपूर्तिकर्ता, जो भी संबंधित हो, का ऐसा अधिकारी उस क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में ऐसे घटित अपराध की शिकायत विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने के समय से 24 घंटों के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।

20. संहिता के खण्ड 11.17 के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जावें:-

11.17ए - विद्युत अधिनियम की धारा 150 के अंतर्गत विद्युत चोरी के अपराध का दुष्प्रेरण अपने आप में एक अपराध है। यह धारा निम्नानुसार है:-

(1) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता(45/1860) में अन्तर्विष्ट अपराध के लिये उपबंधित दण्ड के साथ दण्डित किया जावेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई पेनाल्टी या जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है या अभियोजन कार्यवाही संस्थित की जा सकती है, को प्रतिकूल प्रभावित किये बिना यदि बोर्ड या लायसेन्सी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी कोई कार्य करने को करार करता है या मूक सम्मति देता है या वैसा कार्य करने से स्वयं को अलग रखता है या किसी कार्य या वस्तु की इजाजत देता है, छुपाता है, या मौन अनुकूल रहता है जिसके द्वारा विद्युत की चोरी कारित की जाती है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि की सीमा तीन साल तक हो सकती है, या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ दण्डनीय होगा।

11.17बी - कोई विद्युत ठेकेदार, सुपरवाइजर या मिस्त्री जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135,136,137 या 138 के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता हो तो उसकी अनुज्ञप्ति, सक्षमता प्रमाण पत्र या अनुमति अनुज्ञप्ता प्राधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने योग्य होगी। ऐसे सभी मामले ज्ञात होने के पश्चात् अविलंब अनुज्ञप्ता प्राधिकारी की जानकारी में लाये जाएंगे।

11.17सी - विद्युत अधिनियम की धारा 135 से 140 और धारा 150 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध दिनांक 15.06.07 से विद्युत अधिनियम में संशोधन द्वारा संज्ञेय तथा गैर जमानतीय बनाये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारी इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार करे।

11.17डी - अधिनियम की धारा 151 के अधीन अब यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय भी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर भी संज्ञान ले सकेंगे। यह प्रावधान अधिनियम में संशोधन द्वारा दिनांक 15.06.07 से प्रभावशील किया गया है। चोरी के सभी मामलों में सामान्यतया पुलिस को रिपोर्ट की जावे।

11.17ई - विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अनुसंधान के उद्देश्य से नई धारा 151 ए के अधीन पुलिस अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया

संहिता के अध्याय 12 द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी अधिकारों के प्रयोग का अधिकार दिया गया है।

21. संहिता का खण्ड 11.20 विलोपित किया जावे।
22. संहिता के खण्ड 12.1 में से लायसेन्सधारी शब्द के पश्चात् लिखे गये शब्द " अथवा उपभोक्ता" को विलोपित किया जावे।
23. संहिता के खण्ड 12.2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जावे:-
" अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य हुई संविदा के जारी रहने के दौरान किसी समय यदि पूर्णतः या अंशिक रूप से बाध्यकारी परिस्थितियों जैसे युद्ध, सैन्य विद्रोह, नागरिक विप्लव, दंगे, आतंकी हमले, बाढ़, आग, हड़ताल (श्रम-आयुक्त द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अधीन) तालाबन्दी (श्रम-आयुक्त द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अधीन), चक्रवात, आँधी तूफान, लाइटनिंग, भूकंप अथवा ऐसे दैवीय कृत्यों, जिन पर उपभोक्ता का वश न हो, के कारण उपभोक्ता के लिए विद्युत का उपभोग सम्भव न हो तो उपभोक्ता लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी स्थिति के बारे में एक सात दिनों का नोटिस देकर विद्युत आपूर्ति में आवश्यक और सम्भव कमी, जो संबंधित वोल्टेज लेवल पर संविदा की सीमाओं में अनुमति योग्य हो, प्राप्त कर सकेगा। ऐसे सभी मामलों में जहां उपभोक्ता बाध्यकारी परिस्थितियों का दावा करे, अनुज्ञप्तिधारी का अधिकृत प्रतिनिधि उसका सत्यापन करेगा। ऐसी सुविधा उपभोक्ता के केवल तभी उपलब्ध होगी जबकि आपूर्ति में कमी की अवधि न्यूनतम 30 दिनों की हो। उपरोक्त कम आपूर्ति की अवधि संविदा में विनिर्दिष्ट प्रारम्भिक अवधि में नहीं जोड़ी जावेगी और संविदा की अवधि, ऐसी कम आपूर्ति की अवधि के बराबर अतिरिक्त अवधि, के लिए बढ़ाई जावेगी।
24. खण्ड 12.7 में शब्द "कलेन्डर माह" को शब्द " बिलिंग माह" से प्रतिस्थापित किया जावे।

टीप:- इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अन्तर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,

(एन. के. रूपवानी)
सचिव